ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांकः–ग्रे.नो./संस्था/2018/7777

दिनांक 19/7/2018

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 में मद संख्या 112/11 में प्राधिकरण की संस्थागत भू–उपयोग में आंवटित किये गये विभिन्न वोकेशनल एण्ड मैनेजमेन्ट इन्सटीटयूट/इंजीनियरिंग कॉलेज में अतिरिक्त पाठयक्रम संचालन की अनुमति एवं हायर सैकेन्ड्री परियोजरना/गतिविधि अनुमन्यता एवं संस्थागत हरित क्षेत्र संस्थागत हरित क्षेत्र में आवंटित सोशल कल्चरल सेन्टर में वोकेशनल ट्रेनिंग अनुमन्यता किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव अनुमोदित के आलोक में प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 में लिये गये निर्णय के कम में वर्तमान में प्रचलित अतिरिक्त पाठयक्रम एवं अतिरिक्त परियोजना संचालन की अनुमन्य नीति को समाप्त/अवकमित करते हुए निम्न शर्तों के साथ अतिरिक्त पाठयक्रम एवं अतिरिक्त परियोजना संचालन करने की नीति निर्धारित की जाती हैः–

अतिरिक्त पाठयक्रम चलाने की अनुमन्यता–

प्राधिकरण द्वारा आवंटित वोकेशनल एण्डमैनेजमेन्ट इन्स्टीटयूट/ इंजीनियरिंग कॉलेज (सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, इण्टर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पौलीटैक्निक कॉलेज, मैडीकल कॉलेज एवं मैडीकल यूनीवर्सिटी/यूनीवर्सिटी को छोडकर) के सभी आवंटियों को ए0आई0सी0टी0ई0 (AICTE)के मानकों के अनुसार टैक्नीकल इन्स्टीटयूट की परिभाषा के अनुरूप सम्पूर्ण पाठयक्रम चलाने की अनुमन्यता निःशुल्क, इस शर्त के साथ प्रदान रहेगी कि ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार भू–उपलब्धता, निर्माण , इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि की पूर्णता आवंटी को स्वयं वर्तमान आवंटित क्षेत्र में ही की जानी होगी और एफ0ए0आर0, ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि में कोई अतिरिक्त अनुमन्यता अतिरिक्त पाठयक्रम के आधार पर अनुमन्य नहीं की जायेगी। इसके लिए आवंटी को एक आवदेन रू0 50000/– (रू0 पच्चास हजार मात्र) प्रोसेसिंग फीस के साथ करना होगा कि वह अमुक पाठ्यक्रम चलाना चाहता है, जिसकी सम्बन्धित संस्था से अनुमति/स्वीकृत सैद्धान्तिक रू॰ से प्राप्त है। ऐसे प्राप्त आवेदन पर प्राधिकरण अपनी प्रीमियम एवं लीजरेन्ट की अतिदेयता नहीं होने पर अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र 15 दिन के अन्दर प्रदान किया जा सकेगा।

अतिरिक्त परियोजना/गतिविधि के रूप में सीनियर/हायर सेकेन्डरी स्कूल चलाने की अनुमन्यताः–

i) सर्व प्रथम उन आवंटियों को यह अनुमन्यता दिये जाने पर विचार किया जायेगा जिन आवंटियों के पास न्यूनतम एक हैक्टेयर रिक्त भूमि की उपलबधता हो।

ii) आवंटी आवंटित प्रयोजन के अतिरिक्त परियोजना/गतिविधि (नर्सरी स्कूल, डेण्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोडकर) चलाने हेतु सम्बन्धित विभाग से वैधानिक रूप से अर्ह हो।

iii) प्राधिकरण की संस्थागत योजनान्तर्गत, जिस प्रयोजन हेतु भूखण्ड आवंटन किया गया है, उसे अनिवार्य रूप से जारी रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा संस्थागत प्रयोजन हेतु अनुमन्य अन्य परियोजना संचालित हेतु मान्यता प्रदान करने वाली संबंधित संस्था से न्यूनतम अर्हता प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जायेगा।

iv) अतिरिक्त परियोजना (डेण्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोडकर) के संचालन हेतु यदि अतिरिक्त भवन निर्माण किया जाना आवश्यक है तो प्राधिकरण के नियमानुसार उसके निर्माण की पूर्वानुमति प्राधिकरण के संबंधित विभाग से प्राप्त कर ही निर्माण कार्य कर सकेगा, इसके लिए आवंटी को पूर्व में अनुमन्य ग्राउण्ड कवरेज, पूर्व परियोजना में प्लानिंग नार्मस के अनुसार ही दी जायेगी।

v) अतिरिक्त परियोजना (डेण्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोडकर) संचालन हेतु प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर अतिरिक्त परियोजना (डेण्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोडकर) संचालित करने का प्रमाण प्राधिकरण में प्रस्तुत करेगा। उक्त अवधि के पश्चात यदि पाठ्यक्रम (डेण्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोडकर) प्रारम्भ नहीं करता है तो प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त परियोजना संचालन की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

मूल प्रयोजन जिसके लिए भूखण्ड आवंटित है, वह पाठ्यक्रम निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर कार्यपूर्ति एवं कियाशीलता प्रमाण–पत्र प्राधिकरण के संबंधित विभाग से प्राप्त करना होगा।

(vi) आवंटी को वांछित प्रयोजन/गतिविधि का वर्तमान में प्रचलित आवंटन दर के अनुसार अतिरिक्त परियोजना/गतिविधि हेतु आवेदित भूमि की कुल कीमत का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) अनुमति शुल्क के रूप में प्राधिकरण में एकमुश्त (one time) जमा करना होगा।

सोशल कल्चरल सेन्टर के आवंटनों में अतिरिक्त परियोजना/ गतिविधि चलाने की अनुमन्यताः–

प्राधिकरण द्वारा सोशल कल्चरल सेन्टर की श्रेणी में संस्थागत हरित भू–उपयोग में आवंटित भूखण्डो में निम्न शर्तो के अधीन अतिरिक्त परियोजना/गतिविधि चलाने के रूप में यह अनुमन्यता प्रदान की जा सकेगी कि वह उक्त भूमि में एजूकेशनल इन्स्टीटयूट, ट्रेनिंग सेन्टर, यूनीवर्सिटी एवं अन्य संस्थान (नर्सरी स्कूल, सीनियर सेकेन्डी स्कूल, हायर सेकेन्डी स्कूल, इण्टर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डेण्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोडकर) का संचालन कर सकेगा।

(i) ऐसे सोशल कल्चरल सेन्टर जो इन्स्टीटयूशनल एवं इन्स्टीटयूशनल ग्रीन (रिक्रीएशन ग्रीन एवं अन्य ग्रीन को छोडकर) में आवंटित है उनमें ही यह अनुमन्यता पर विचार किया जायेगा क्योकि इन्स्टीटयूशनल/इन्स्टीटयूशनल ग्रीन एरिया में ही एजूकेशनल इन्स्टीटयूट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर की गतिविधि अनुमन्य है।

(ii) सोशल कल्चरल सेन्टर हेतु आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 5.0 एकड या उससे अधिक होने पर ही अतिरिक्त परियोजना/गतिविधि अनुमन्यता देने पर विचार किया जायेगा।

(iii) आवंटी आवंटित प्रयोजन के अतिरिक्त परियोजना/गतिविधि (नर्सरी स्कूल, सीनियर सेकेन्डी स्कूल, हायर सेकेन्डी स्कूल, इण्टर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डेण्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोडकर) चलाने हेतु सम्बन्धित विभाग से वैधानिक रूप से अर्ह हो।

(iv) प्राधिकरण की संस्थागत योजनान्तर्गत, जिस प्रयोजन हेतु भूखण्ड आवंटन किया गया है, उसे अनिवार्य रूप से जारी रखते हुए अधिकतम 49 प्रतिशत तक की भूमि पर ही (अर्थात न्यूनतम 51 प्रतिशत भूमि पर मूल परियोजना चलाना होगा) प्राधिकरण द्वारा संस्थागत प्रयोजन हेतु अनुमन्य अन्य परियोजना संचालित हेतु मान्यता प्रदान की जा सकेगी साथ ही संबंधित संस्था से न्यूनतम अर्हता प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जायेगा।

(v) अतिरिक्त परियोजना (नर्सरी स्कूल, सीनियर सेकेन्डी स्कूल, हायर सेकेन्डी स्कूल, इण्टर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डेण्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोडकर) के संचालन हेतु यदि अतिरिक्त भवन निर्माण किया जाना आवश्यक है और वह वर्तमान में अनुमन्य गतिविधि की ग्राउण्ड कवरेज/एफ.ए.आर. की अनुमन्यता से बाहर हो रहा है तो प्राधिकरण के नियमानुसार उसके निर्माण की पूर्वानुमति एफ.ए.आर. क्य करने पर ही प्राधिकरण के संबंधित विभाग से प्राप्त कर ही निर्माण कार्य कर सकेगा।

(vi) मूल प्रयोजन जिसके लिए भूखण्ड आवंटित है, वह परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर कार्यपूर्ति एवं कियाशीलता प्रमाण–पत्र प्राधिकरण के संबंधित विभाग से प्राप्त करना होगा।

(vii) उपरोक्त अनुमति हेतु आवंटी को निर्धारित शुल्क देय होगी जिसकी गणना निम्नानुसार की जायेगीः–

निर्धारित शुल्क = जिस प्रयोजन हेतु अनुमति वांछित है, उसकी वर्तमान आवंटन दर–जिस प्रयोजन हेतु भूखण्ड आवंटित है उसकी वर्तमान आवंटन दर।

चूँकि आवंटी वर्तमान में अनुमन्य प्रयोजन के साथ–साथ आवंटित भूखण्ड के कुछ भाग पर ही अन्य संस्थागत प्रयोजन भी उपयोग में लाने की अनुमति चाहते है इसलिए जितने भू–भाग में अन्य संस्थागत प्रयोजन चलाई जायेगी जिसका निर्धारण नियोजन विभाग से कराते हुए केवल उतने क्षेत्रफल का ही निर्धारित शुल्क उपरोक्तानुसार आगणित कर प्राधिकरण में जमा कराना होगा।

(viii) यदि किसी परियोजना के प्रयोजन हेतु आवंटन प्राप्त किया गया है उसकी वर्तमान आवंटन दरें अधिक है और जिस प्रयोजन हेतु अनुमति वॉछित है, उसकी आवंटन दर कम है तो एसी स्थिति में कोई शुल्क लिए बिना अतिरिक्त परियोजना चलाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु रू0 50000/– Processing charges लिया जायेगा।

(ix) अतिरिक्त परियोजना/गतिविधि (नर्सरी स्कूल, सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, हायर सेकेन्ड्री स्कूल, इण्टर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डेण्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोडकर) संचालन हेतु प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर अतिरिक्त परियोजना/गतिविधि संचालित करने का प्रमाण प्राधिकरण में प्रस्तुत करेगा। उक्त अवधि के पश्चात यदि परियोजना/गतिविधि प्रारम्भ नहीं करता है तो प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त परियोजना संचालन की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 में मद संख्या 112/11 में अनुमोदित प्रस्ताव के कम में जारी किये जा रहे है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(डा0 विभा चहल)
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ ।
2. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ ।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी./जी. को सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. प्रभारी (संस्थागत) – (44922)

विशेष कार्याधिकारी